

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ।

पत्रांक

2018

/चयन/2021-22

दिनांक:- 01.10.2021

शुद्धि-पत्र

विज्ञापन संख्या-01/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला का पैनल चयन बोर्ड की विज्ञापित संख्या-924/चयन/2020-21 दिनांक 23.07.2021 द्वारा घोषित किया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि याचिका संख्या-8388/2020 मुकेश तिवारी व अन्य के साथ सम्बद्ध अन्य याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2020 तथा याचिका संख्या-9487/2020 धीरेन्द्र प्रताप ओझा व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 के अनुपालन में याचीगण को दिनांक 29.11.2020 के साक्षात्कार में प्रोविजनली सम्मिलित कराया गया, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत याचिका में अग्रिम आदेश तक इन याचीगणों का परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।

2. चयन बोर्ड की विज्ञापित संख्या-1881/चयन/2019-2020 दिनांक 30.09.2021 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला बालक वर्ग का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जिसमें त्रुटिवश निम्नलिखित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन प्रदर्शित हो गया है:-

क्र० सं०	पैनल क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	आवंटित संस्था	चयनित श्रेणी
1	36	0110063156	गोविन्द मलिक	नन्द किशोर सिंह इ०का० रामपुर मांझा गाजीपुर।	सामान्य श्रेणी
2	170	0110055304	राजेन्द्र कुमार	राजा महेन्द्र प्रताप इ०का० जसनावली खुर्द बुलन्दशहर।	सामान्य श्रेणी
3	177	0110025620	मधुलिका कुमारी	सम्राट अशोक इ०का० चन्दसारा, मेरठ।	सामान्य श्रेणी
4	198	0110024247	संजीव कुमार	मदन इ०का० भोगांव, मैनपुरी।	अनुसूचित जाति
5	274	0110067280	मन्नू कुमार भारती	श्री शिवजपत सिंह जनता इ०का० मिटौली बाजार, महाराजगंज।	अनुसूचित जाति
6	278	0110070222	पूजा	वीर स्मारक इ०का०, बडौत, बागपत।	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	288	0110036218	कु० आरती वर्मा	श्रीमती परमा पाटन देवी इ०का० मछलीगांव गोरखपुर।	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	320	0110025600	मधुलिका कश्यप	आदर्श हा०से०स्कू० सीही बुलन्दशहर।	अनुसूचित जनजाति

3. मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अधीन चयन बोर्ड की विज्ञापित दिनांक 23.07.2021 द्वारा घोषित पैनल में प्रस्तर-02 के उल्लिखित अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा इनका संस्था आवंटन निरस्त कर दिया गया। चयन बोर्ड की विज्ञापित संख्या-1881/चयन/2019-2020 दिनांक 30.09.2021 द्वारा किया गया संस्था आवंटन इस सीमा तक संशोधित रहेगा।

५५
01-10-2021
उपसचिव